



11.03.2025



छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 (फाल्गुन 21,1946)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप धारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 5-7/आठ-परि./2023, दिनांक 27 दिसम्बर,2024 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

- (1) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में ई-वे बिल जांच के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्री ओंकार साहू, सदस्य, धमतरी जिले में अवैध प्लॉटिंग किये जाने की ओर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4 याचिकाओं की प्रस्तुति

- (1) श्रीमती गोमती साय, सदस्य, जिला-जशपुर अंतर्गत –
 - (i) ग्राम कोकियाखार के डोंगापारा नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम दोकड़ा में महाविद्यालय खोलने,
- (2) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य, बीजापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ब्लॉक मुख्यालय भैरमगढ़ से केशकुतुल तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम केशकुतुल से ताडोपारा तक डामरीकृत सड़क निर्माण करने,
 - (iii) ग्राम मिरतुर से नीलावाया मार्ग में मरी नदी पर पुल निर्माण करने,
 - (iv) ग्राम संगमपल्ली एन.एच. से संकनपल्ली तक पुल-पुलिया सहित डामरीकृत सड़क निर्माण करने,

क्रमशः 2

- (3) श्री मोतीलाल साहू, सदस्य, रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दतरेंगा एवं काठाडीह के मध्य पुलिया निर्माण करने,
- (4) श्री भोलाराम साहू, सदस्य, खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) गैंदाटोला-छुरिया-खोभा मार्ग का पुल-पुलिया सहित मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण करने,
 - (ii) गुण्डरदेही-उमरवाही-गोड़लवाही-मटिया-करमरी मार्ग का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण करने,
 - (iii) कुमरदा-गैंदाटोला कल्लूबंजारी मार्ग का पुल-पुलिया सहित मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण करने,
 - (iv) ग्राम ओटेबांधा के माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,
- (5) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, संजारी-बालोद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) गुरुर में शासकीय महाविद्यालय की स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु भवन निर्माण करने,
 - (ii) जिला मुख्यालय बालोद में 30 बिस्तर आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने,
- (6) श्री अनुज शर्मा, सदस्य, धरसीवा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गिरौद के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
- (7) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य, खैरागढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ग्राम अमलीडीह की माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,
 - (ii) ग्राम ढाबा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (iii) ग्राम जालबांधा में महाविद्यालय भवन निर्माण करने,
 - (iv) ग्राम गाड़ाडीह से पाटा पहुंच मार्ग निर्माण करने,
 - (v) ग्राम देवारीभाट से सहसपुर पहुंच मार्ग निर्माण करने,
 - (vi) ग्राम भरदाकला से अमलीपारा मार्ग पर पुलिया निर्माण करने,
- (8) श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ग्राम कोसला में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,
 - (ii) ग्राम सलखन में महाविद्यालय खोलने,
 - (iii) ग्राम मिस्ता में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा खोलने,
- (9) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
 - (i) ग्राम बरगंवा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - (ii) ग्राम पहरिया में महाविद्यालय खोलने,
 - (iii) ग्राम कोटमीसोनार से बहेरापारा छोटे-अमेरी तक पक्की सड़क निर्माण करने,

- (10) श्री उमेश पटेल, सदस्य, जिला-रायगढ़ अंतर्गत –
- ग्राम डोंगाढकेल की माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करने,
 - ग्राम सूपा के हाई स्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,
 - ग्राम जोबी में 50 सीटर हॉस्टल निर्माण करने,
- (11) श्री रिकेश सेन, सदस्य, वैशालीनगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत आई.टी.आई. खोलने,
- (12) श्रीमती उद्धेश्वरी पैकरा, सदस्य, सामरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –
- ग्राम बाड़ो कोना में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,
 - ग्राम नटवर नगर से घुटराडीह मार्ग में बिनगंगा नदी पर पुल निर्माण करने तथा
 - ग्राम जलजली में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास), छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (2) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 3 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।
- (3) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

6. वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

2 घंटे

श्री रामविचार नेताम, कृषि मंत्री के विभागों से संबंधित—

- मांग संख्या 15 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 33 आदिम जाति कल्याण
- मांग संख्या 41 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
- मांग संख्या 42 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

क्रमशः 4

- मांग संख्या 49 अनुसूचित जाति कल्याण
- मांग संख्या 53 अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 64 अनुसूचित जाति उपयोजना
- मांग संख्या 66 पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण
- मांग संख्या 68 अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—भवन
- मांग संख्या 82 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 83 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
- मांग संख्या 13 कृषि
- मांग संख्या 54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

रायपुर,
दिनांक 11 मार्च, 2025

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा